न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर , सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी :– कमला अलारिया (आर. ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 506/2013 **दायरा दिनाक :–25.06.2013**

1. बाबू खां पुत्र भादर खां जाति गिरासी निवासी अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (फौत) प्रतिस्थापित प्रार्थी न. 2 आदेश दिनाक 14.08.2020
2. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

–प्रार्थी/शिकायतकर्ता

बनाम

1. पाबूदान उर्फ प्रभूदान पुत्र रावताराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड न. 13 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकारराज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ (आदेश दिनाक 14.08.2020 रो प्रार्थी प्रति स्थापित।

– अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 एंव धारा 11 – 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954

उपस्थित :– 1. तहसीलदार सूरतगढ़ :– प्रार्थी
2. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता :– अप्रार्थी न. 1

–:: निर्णय ::– दिनांक :–.23.02.2022

प्रकरण के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार से है कि इस न्यायालय में प्रार्थी न. 1 ने शिकायत प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन किया कि अप्रार्थी न. 1 के नाम से रेाही मौजा टीलावाली के खसरा न. 59/1 में 1.088 हैक. व खसरा न. 59/3 में 3.972 हैक. कुल 5.060 हैक. रकबा पूर्व में टीसी आवटन करवा ली थी व बाद में उपनिवेशन क्षेत्र से मुक्त होने पर इस रकबा के खातेदारी अधिकार जारी करवा लिये जबकि अप्रार्थी के नाम से रोही सूरतगढ़ के खसरा न. 329/2, 473/1, 478/2, 479/1, 479/3, 479/2 में 8.602 हैक. व चक 35 पीबीएन के पत्थर न. 34/377 में 1.898 हैक. व रोही अमरपुरा जाटान के पत्थर न. 57/380, 56/380 में 5.719 हैक. रकबा है रोही टीलावाली का उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार सरकार को धोखा देकर करवा लिये है अप्रार्थी न. 1 सदभाविक काश्तकार नही है वरवक्त टीसी आवटन अप्रार्थी केन्द्रीय सेवा यानि भारतीय रेल्वे में पदस्थापति था इस पद पर रहते अप्रार्थी रकबा आवटन का हकदार नही था तथा अप्रार्थी ने सर्विस रिकॉर्ड में नाम प्रभूदान व भूमि आवटन में नाम पाबूदान अकिंत कर राज्य सरकार को धोखा दिया है। इसलिये शिकायत की पूर्णतया जॉच कर अप्रार्थी के नाम उपरोक्त वर्णित समस्त भूमि खारिज की जाकर बहक सरकार रिज्यूम फरमाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी न. 1 की और से श्री शिशपाल शर्मा वकील हाजिर होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने यह शिकायत रजिश वंश की है अप्रार्थी न. 1 को रोही टीलावाली के खसरा न. 59 नया मिन 59/1 व 59/3 में कुल 20.00 बीघा रकबा सम्वत् 2016 में आवटन हो गया था उस समय इस खसरा न. में कुल 35.00 बीघा रकबा आराजीराज था जिसमें से 20.00 बीघा रकबा आवटन हुआ था। उसके पश्चात् प्रत्येक वर्ष यह रकबा अप्रार्थी न. 1 के नाम से नवीनीकरण होकर कब्जा काश्त में चला आ रहा था अप्रार्थी न. 1 ने खसरा गिरदावरी सम्वत् 2016 ता 19, 2020 ता 23, 2026 ता 29, 2030 ता 33, 2034 ता 37, 2038 ता 41, 2039 ता 41, 2056 ता 59, 2064 ता 67, 2068 ता 71 की प्रमाणित प्रति पेश की व जमाबन्दी सम्वत् 2066 ता 69 तथा इस रकबा के खातेदारी अधिकार 18.08.2009 तथा अप्रार्थी द्वारा यह रकबा राज्जनकुमार पुत्र श्योपतराम को बैचान किया जा चुका है, के बैयनामा

Scanned by CamScanner

दिनाक 05.06.2012 की फोटोप्रति व रोही टीलावाली के इन्तकाल सख्या 240 जिसकी रूह से खसरा न. 59/1 व 59/3 के 5.060 हैक. अप्रार्थी न. 1 से खरीददार सज्जन कुमार के नाम खातेदारी बैयनामा मुताबिक दर्ज हो चुका है, कि फोटोप्रति प्रस्तुत की तथा जवाब में यह निवेदन किया कि अप्रार्थी न. 1 के नाम से रोही कस्बा सूरतगढ़ में कोई रकबा नही है रोही कस्बा सूरतगढ़ में अप्रार्थी की माता रामप्यारी उर्फ घूड़ी बेवा रावतराम के नाम से 50.00 बीघा रकबा खातेदारी था व रामप्यारी ने अपने जीवनकाल में ही इस रकबा की वसीयत ओमप्रकाश – भगतराम के पक्ष में निष्पादित कर दी थी व धुड़ी देवी दिनाक 03.01.1987 को फौत हो चुकी थी व उसके फौत हो जाने के बाद यह रकबा ओमप्रकाश – भगतराम को प्राप्त हो गया व इस रकबा में से एक इंच रकबा भी अप्रार्थी न. 1 को प्राप्त नही हुआ अप्रार्थी न. 1 ने जवाब में दर्ज किया है कि रोही अमरपुरा के खसरा न. 138/3, 138/4, 140/2 में 22.18 बीघा रकबा भी सम्वत् 2016 से पूर्व ही उसे आवटन हो गया था तथा यह रकबा टीसी से पुख्ता आवटन के समय दिनाक 18.03.2008 को खारिज हो गया था तथा इस रकबा की अपील श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने दिनाक 13.10.2008 को खारिज कर दी व अप्रार्थी न. 1 ने इस रकबा के बाबत राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी न. 10927/2008/ श्रीगंगानगर प्रभूदान उर्फ पाबूदान बनाम सरकार पेश की जो दिनाक 05.07.2018 को स्वीकार हो गई व इस प्रकरण के निर्णय में माननीय बोर्ड ने यह निर्णित किया है कि वरवक्त टीसी आवटन प्रार्थी कर्मचारी नही था व अप्रार्थी दिनाक 22.05.1992 को सेवानिवृत हो गया है तो कर्मचारी सरकारी पद से सेवानिवृत होने के बाद किसी भी प्रकार का कार्य कर सकता है तथा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन न. जीएसआर104/एफ 04 (10) राजस्व /कोलो/75 दिनाक 27.12.1982 पब्लिश इन राज. गजट. पार्ट 4 सी (आई) दिनाक 11.01.1983 के द्वारा ससोधन कर राजकीय कर्मचारी को भूमिहीन की श्रेणी से बाहर कर दिया इस नोटिफिकेशन के लागू होने के पूर्व के आवटन कार्यवाही सरकारी कर्मचारी होना कृषि भूमि आवटन के लिये पात्रता नही था। इस प्रकार 1982 के संसोधन से पूर्व कर्मचारी को आवटन वर्जित नही था इसलिये भी अप्रार्थी का टीसी आवटन जो पिछले 62 वर्ष पुराना है, को खारिज नही किया जा सकता तथा आवटन के समय अप्रार्थी ने किसी भी तथ्य को छिपाया नही कोई मिथ्या कथन पेश नही किया है जैरप्रकरण रकबा के दिनाक 18.08.2009 को खातेदारी अधिकार जारी हो चुके है व खातेदारी होने के बाद में जिला कलक्टर को रकबा निरस्त करने का भी अधिकार नही है अप्रार्थी के पूरे परिवार का पेशा हमेशा काश्तकारी रहा है अप्रार्थी के माता – पिता पत्नी इस सबका पेशा काश्तकारी था अप्रार्थी न. 1 टीसी आवटन के करीब 4 – 5 वर्ष पश्चात् रेल्वे में सर्विस लगा था व दिनाक 22.05.1992 को सेवानिवृत हो गया है व सेवानिवृति के करीब 17 वर्ष पश्चात् खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है व खातेदारी दिनाक 18.08.2009 को प्राप्त होने के बाद इस रकबा का बैचान 05.06.2012 को किया जा चुका है तथा केता को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र भी निरस्त हो गया है तथा शिकायतकर्ता ने यह शिकायत धारा 11–14 उपनिवेशन अधिनियम में भी पेश की है जबकि अगर उपनिवेशन के दौरान अगर कोई तथ्य छुपाया हो तो धारा 21 में आवटन अधिकारी के ही शिकायत की जा सकती है इसलिये शिकायत प्रार्थना पत्र काबिल निरस्ती के है।

प्रकरण में तहसीलदार सूरतगढ़ से मौका एंव रिकॉर्ड की रिपोर्ट मगवाई गई तहसीलदार के पत्राक /राजस्व /शिकायत/2013/1762 दिनाक 11.10.2013 से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें उक्त रकबा 1955 से बाद का अप्रार्थी के नाम दर्ज था जिसके खातेदारी अधिकार दिनाक 18.08.2009 को प्राप्त करने के पश्चात् दिनाक 05.06.2012 को अप्रार्थी द्वारा बैचान करना व केता के काबिज होने की रिपोर्ट आई है व आवटी के पास पटवार मण्डल किशनपुरा में कोई अन्य भूमि नही है, के बाबत भी रिपोर्ट पेश हुई है।

चुकिः इस प्रकरण में शिकायत कर्ता फौत हो चुका है इसलिये दि. 14.08.2020 को शिकायत कर्ता के स्थान पर राज्य पक्ष के हितबद्व मानकर तहसीलदार सूरतगढ़ को पक्षकार प्रार्थी सयोजित किया जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राज्य सरकार की और से पैरोकारराज ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये शिकायत में वर्णित रकबा खारिज करने निवेदन किया तथा अप्रार्थी न. 1 के अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया तथा कानूनी नजीर RRT 2019 पेज 209, DNJ 1999 पेज 509, RBJ 1999 पेज 336, RRT 2013 (2) पेज 1418, RBJ 2001 पेज

जिला कलक्टर
(श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

125, DNJ 1997 पेज 632, RRD 1995 पेज 68, RRT 2001 (2) पेज 1404, RBJ 1999 पेज 412, RRT 2003 पेज 921 पेश की।

उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया इस प्रकरण में वर्णित रोही टीलावाली का रकबा अप्रार्थी न. 1 को सम्वत् 2016 से आवंटन है तथा गिरदावरियो की प्रमाणित प्रतियों के अनुसार यह रकबा अप्रार्थी द्वारा लगातार काश्त किया जा रहा है इसके अलावा पत्रावली में कोई भी ऐसा साक्ष्य मौजूद नही है कि अप्रार्थी न. 1 ने यह आवटन कपटपूर्ण या मिथ्या तथ्य पेश करके आवटन करवाया गया हो तथा इस रकबा के खातेदारी अधिकार भी अप्रार्थी न. 1 को दिनाक 18.08.2009 को प्राप्त हो चुके है व अप्रार्थी न. 1 द्वारा इस रकबा का रजिस्टर्ड बैयनामा दिनाक 05.06.2012 को खरीददार को बैचान किया जा चुका है। प्रकरण में सरकार के साथ धोखा घडी या मिथ्या तथ्य या गलत सूचना देकर आवटंन करवाया हो, के बाबत कोई साक्षय पत्रावली पर उपलब्ध नही है। प्रकरण में मिथ्य सूचना का या न्यायालय से कपट का कोई प्रकरण नहीं बनता है । अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कानुनी नजीर RRT 2019 पेज 209, जो अप्रार्थी के नाम के राही अमरपुरा जाटान के टी.सी.रकबा जो ऑवटन अधिकारी सूरतगढ ने निरस्त कर दिया था के बाबत है जिसमे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने निगरानी स्वीकार कर टी.सी. ऑवटन का पात्र माना व ऑवटन अधिकारी का निर्णय निरस्त किया है तथा DNJ 1999 पेज 509 में माननीय न्यायालय ने आवंटन के 16 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्त नहीं करने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है व RRT 2013 (2) पेज 1418 में 17 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्त करना उचित नहीं माना व RBJ 2001 पेज 125 में 30 वर्ष पश्चात व खातेदारी होने के पश्चात रकबा कलक्टर खारिज नहीं कर सकता व RBJ 1999 पेज 412 मे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने 25 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्त नहीं हो सकता व RRD 1995 करन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में आवंटन के समय आवंटी सदभावी काश्ताकार नहीं था फिर भी पुराना आवंटन बहाल रखा है तथा DNJ 1997 पेज 632 में 1982 के संशोधन से पूर्व के राजकीय कर्मचारियों को आवंटन बाध्य नहीं था, का सिद्धान्त प्रतिपादित किया है तथा RRT 2003 पेज 921 में आवंटी जो कि सरकारी कर्मचारी था तथा खातेदारी होने के बाद आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के प्रावधान लागू नहीं होते है। इस प्रकरण में अप्रार्थी का आवंटन सम्वत 2016 का है जो आज से 62 वर्ष पुराना है, जिसको निरस्त करने का कोई आधार मौजूद नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर इस प्रकरण पर हूबहू लागू होती है, इसलिए इतना पुराना आवंटन बिना किसी कारण निरस्त करना उचित नहीं है। प्रार्थी का यह शिकायत प्रार्थना पत्र आधारहीन व पूर्णतया झूठा प्रतीत होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) आंवटन नियम 1970 एंव धारा 11 – 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner